

न्यायालय, समाइसा, मधुबनी

सी०सी०ए० वाद संख्या-95/2021-22

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत

सरकार

बनाम

राम विलास सदाय

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक 3844/सी.आर दिनांक-01.10.2021, द्वारा अपराधकर्मी राम विलास सदाय, पिता- स्व० फुलेश्वर सदाय, सा०-फटकी कुट्टी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

21-10-2021

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा-3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-11.10.2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी दिनांक-21.10.2021 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य का कारण-पृच्छा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में निर्धारित तिथि यथा 21.10.2021 को इनके वादों पर सुनवाई की गई।

अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया है कि इनके पक्षकार एक शांतिप्रिय व कानून मे आस्था रखनेवाले व्यक्ति हैं। इनके पक्षकार शिक्षित व्यक्ति हैं। इनके पक्षकार को राजनीति के तहत मुकदमा में फँसाया गया है। मधेपुर थाना काण्ड सं०-143/08, 79/09, 51/10, 85/11, 65/16 एवं मधेपुर थाना सनहा सं०-475 दिनांक 18.09.2021 एवं 515 दिनांक 19.09.2021 दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके पक्षकार को इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य एवं कागजात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि ये बात साबित हो सके कि ये अब आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं हैं।

यदि पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा अंकित किया गया है कि

"असमाजिक तत्वों/ अपराधकर्मी राम विलास सदाय सक्रिय अपराधकर्मी है। जो हत्या, बलात्कार, आर्म्स एक्ट आदि काण्डों में आरोपित है तथा वर्तमान में ये जमानत पर मुक्त है। आसूचना संकलन में यह बात प्रकाश में आई है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग है तथा इनके घर अनजान सदिध लोगों का आना जाना है जिससे वहाँ के आम लोगों में भय का माहौल है ये आगामी पंचायत चुनाव 2021 में किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान करने हेतु दबाव डालकर फायदा पहुँचा सकते है तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है -

01. मधेपुर थाना काण्ड संख्या-143/08 दिनांक 03.06.08 धारा

376/511 भा0द0वि0 आरोप पत्र सं0-78/08 दिनांक 30.

06.2008

02. मधेपुर थाना काण्ड संख्या-79/09 दिनांक 07.06.09 धारा

302/201 भा0द0वि0 आरोप पत्र सं0 90/09 दिनांक 08.

09.2009

03. मधेपुर थाना काण्ड संख्या-51/10 दिनांक 01.05.10 धारा

307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट आरोप पत्र सं0

20/12 दिनांक 29.02.2012

04. मधेपुर थाना काण्ड संख्या-85/11 दिनांक 26.06.11 धारा

302/34 भा0द0वि0 एवं 27. आर्म्स एक्ट आरोप पत्र सं0

119/11 दिनांक 29.09.2011

05. मधेपुर थाना काण्ड संख्या-65/16 दिनांक 01.10.16 धारा

420/409 भा0द0वि0 आरोप पत्र सं0 98/16 दिनांक 30.

11.2016

06. मधेपुर थाना सनहा संख्या-475 दिनांक 18.09.21

07. मधेपुर थाना सनहा संख्या- 515 दिनांक 19.09.21

इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर मधुबनी जिला में अमन, चैन, शांति व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा-3 के तहत आदेश पारित करने की अनुशंसा की गई है।'

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरुद्ध सात मामले दर्ज हैं। म मधेपुर थाना काण्ड सं0-143/08, 79/09, 51/10, 85/11, 65/16 एवं मधेपुर थाना सनहा सं0-475 दिनांक 18.09.2021 एवं 515 दिनांक 19.09.2021 दर्ज हैं। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 02(डी0) के तहत उद्धरित "Anti Social element" की परिभाषा एवं भारतीय दंड विधान के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अन्तर्गत परिभाषित हैं। अपराधकर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य अथवा कागजात वाखिल नहीं किया गया है। जिससे प्रमाणित हो सके कि ये वर्तमान में स्वच्छ आचरण का जीवन व्यतीत कर रहे हो।

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से समाज पर दुःप्रभाव पड़ेगा। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या हो सकते हैं, भा.द.वि. 1861 के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपराधकर्मी राम विलास सदाय, पिता- स्व0 फुलेश्वर सदाय, सा0-फटकी कुट्टी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,

1981 की धारा-3, उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न पंचायत चुनाव 2021 को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (पंचायत चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला-मधुबनी को थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से लखनौर थाना में प्रत्येक तिथि को सवेह उपस्थित होकर 10:00 बजे पूर्वाह्न से 11:00 बजे पूर्वाह्न तथा संध्या 05:00 बजे से 06:00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिनांक 08.12.2021 को अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को, मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान केन्द्र हेतु प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, लखनौर निदेश दिया जाता है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे एवं उसमें अपराधकर्मी राम विलास सदाय, पिता- स्व0 फुलेश्वर सदाय, सा0-फटकी कुडी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपराधकर्मी राम विलास सदाय, पिता- स्व0 फुलेश्वर सदाय, सा0-फटकी कुडी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी को तामिला कराने हेतु इसकी एक प्रति थानाध्यक्ष, मधेपुर थाना को भेजे। साथ ही इस आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, लखनौर थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को भेजे, उनसे अनुरोध होगा कि इस आदेश से अपने अधिनस्थ सभी थानाध्यक्ष को अवगत करा देंगे।

इस आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क, मधुबनी को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति मधुबनी जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ हेतु आई.टी. मैनेजर को भेजे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

जिला दण्डाधिकारी, 28/10/21

दिनांक - मधुबनी

ज्ञांपाक सं० 1171 / जि०वि०-०८० मधुबनी

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

थानाध्यक्ष, मधेपुर को दो आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

एकप्रति अपराधकर्मी को तामिला करना सुनिश्चित किया जाय।

थानाध्यक्ष, लखनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
मधुबनी।